न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 03/2019 ए अपील

रामदयाल पिता भंवरलाल बनाम जाट निवासी बराना, तहसील आसीन्द

–अपीलार्थी

1. आशु पिता सोराम जाट निवासी बराना, तहसील आसीन्द
2. नारायण पिता सोराम जाट निवासी बराना, तहसील आसीन्द
3. सम्पत पिता सोराम जाट निवासी बराना, तहसील आसीन्द
4. श्रीमती धापू पत्नी सोराम जाट निवासी बराना, तहसील आसीन्द
5. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाडा

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व नामान्तरकरण सं. 507 दिनांक 20.06.2003 ग्राम बराना तहसील आसीन्द

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू. राज. अधिनियम

उपस्थित –

1. श्री भैरूलाल बापना अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री नारायण लाल चौधरी अधिवक्ता – रेस्पोडेण्ट सं. 01 से लगायत 04 की ओर से
3. श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट सं. 05 की ओर से

निर्णय

दिनांक 07.08.2019

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश नामान्तरकरण सं0 507 निर्णय दिनांक 20.06.2003 के खिलाफ प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बराना के तत्कालीन खाता सं. 263 मे आराजी सं. 37 रकबा 14.13 बीघा एवं खाता सं. 248 में आराजी सं. 1289 रकबा 12 बिस्वा एवं खाता सं. 57 में आराजी सं. 2997 रकबा 5 बिस्वा गे. मु. आ.चाह भूमि सोराम, लादू पिता बालू जाट निवासी बराना के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। खातेदार सोराम की मृत्यु दिनांक 01.10.2002 को हो गया था। उनके पुत्र भंवरलाल को देहान्त दिनांक 02.06.1996 को हो गया था, जिनका अपीलार्थी रामदयाल पुत्र होकर प्रथम श्रेणी का वारिस हैं। सोराम की मृत्यु के बाद पटवारी हल्का बराना ने नामान्तरकरण सं. 507 में वारिसान की सही जांच नहीं कर अपीलार्थी को सजरे में सोराम का पुत्र होना दर्ज कर दिया जबकि अपीलार्थी भंवरलाल का पुत्र होकर सोराम का पोत्र हैं। जबकि सोराम की विरासत से सही तौर से नामान्तरकरण खुलना चाहिये। उक्त नामान्तरकरण 507 दुरूस्त किया जाना

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

चाहिये एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जानी चाहिये। अपीलार्थी की सही वल्दियत के सबूत में आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, भंवरलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अपीलार्थी की स्कूल की मार्कशीट प्रस्तुत है। उक्त आराजियात में सोराम का 1/2 हिस्सा था एवं उनके भाई लादू पिता बालू का भी 1/2 हिस्सा था। लादू पिता बालू के 1/2 हिस्से के बारे में कोई विवाद नही होने से लादू पिता बालू के वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया हैं। अपीलार्थी को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 21.12.2018 को हुयी। अपील मिलने जानकारी एवं नकल प्राप्त करने से अंदर अवधि अपील पेश हैं। दिनांक 20.06.2003 से 21.12.2018 तक का समय कण्डोन कराये जाने हेतु धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण सं. 507 को या तो निरस्त किया जाकर अपीलार्थी की सही वल्दियत भंवरलाल के रूप मे दर्ज करते हुए नया नामान्तरकरण निर्णित कराया जावे या नामान्तरकरण सं. 507 में ही सही दुरूस्ती करायी जाकर नामान्तरकरण मे आशु, नारायण, सम्पत पिता सोराम, श्रीमती धापु पत्नी सोराम, रामदयाल पिता भंवरलाल जाट का नाम दर्ज कराया जावे और इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अपीलार्थी की सही वल्दियत दर्ज करायी जावे।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 24.01.2019 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब किया गया।

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया जा रहा है। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है। न्यायहित में नैसर्गिक प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम बराना के तत्कालीन खाता सं. 263 मे आराजी सं. 37 रकबा 14.13 बीघा एवं खाता सं. 248 में आराजी सं. 1289 रकबा 12 बिस्वा एवं खाता सं. 57 में आराजी सं. 2997 रकबा 5 बिस्वा गे.मु. आ.चाह भूमि सोराम, लादू पिता बालू जाट निवासी बराना के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। खातेदार सोराम की मृत्यु दिनांक 01.10.2002 को हो गया था। उनके पुत्र भंवरलाल को देहान्त दिनांक 02.06.1996 को हो गया था, जिनका अपीलार्थी रामदयाल पुत्र होकर प्रथम श्रेणी का वारिस हैं। सोराम की मृत्यु के बाद पटवारी हल्का बराना ने नामान्तरकरण सं. 507 में वारिसान की सही जांच नहीं कर अपीलार्थी को सजरे में सोराम का पुत्र होना दर्ज कर दिया जबकि अपीलार्थी भंवरलाल का पुत्र होकर सोराम का पोत्र हैं। जबकि सोराम की विरासत से

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

सही तौर से नामान्तरकरण खुलना चाहिये। उक्त नामान्तरकरण 507 दुरूस्त किया जाना चाहिये एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जानी चाहिये। निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण सं. 507 को या तो निरस्त किया जाकर अपीलार्थी की सही वल्दियत भंवरलाल के रूप मे दर्ज करते हुए नया नामान्तरकरण निर्णित कराया जावे या नामान्तरकरण सं. 507 में ही सही दुरूस्ती करायी जाकर नामान्तरकरण मे आशु, नारायण, सम्पत पिता सोराम, श्रीमती धापु पत्नी सोराम, रामदयाल पिता भंवरलाल जाट का नाम दर्ज कराया जावे और इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अपीलार्थी की सही वल्दियत दर्ज करायी जावे।

रेस्पोडेण्ट सं. 01 से लगायत 04 के अधिवक्ता ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त नामान्तरकरण सं. 507 को निरस्त करवाते हुये या दुरूस्त करवाते हुए आशु, नारायण, सम्पत पिता सोराम, श्रीमती धापु पत्नी सोराम एवं रामदयाल पिता भंवरलाल का नाम उक्त नामान्तरकरण सं. 507 में दुरूस्त करवाते हुए राजस्व अभिलेख में भी इसी अनुसार दुरूस्ती करायी जाने पर प्रत्यर्थीगण सं. 01 से लगायत 04 को कोई आपत्ति नहीं है। निवेदन हैं कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जावे।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। नामान्तरकरण सं. 507 में अंकित सजरे में रामदयाल को सोराम का पुत्र दर्शाया गया हैं। जबकि रामदयाल सोराम का पुत्र नही होकर पोत्र हैं एवं भंवरलाल का पुत्र हैं एवं भंवरलाल के पिता का नाम सोराम हैं। प्रत्यर्थी सं. 01 से लगायत 04 ने अपने जवाब में भी यही अंकित किया हैं कि रामदयाल के पिता का नाम भंवरलाल हैं एवं अपील स्वीकार किये जाने में आपत्ति प्रकट नहीं की हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 विरूद्ध आदेश नामान्तरकरण 507 के स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार आसीन्द के नामान्तरकरण सं. 507 दिनांक 20.06.2003 को अपास्त किया जाता हैं एवं नायब तहसीलदार आसीन्द को निर्देश दिये जाते हैं कि मृतक सोराम पिता बालू जाट साकिन बराना के विधिक वारिसान की जांच कर पुनः नये सिरे नामान्तरकरण की कार्यवाही की जावे। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड तहसीलदार आसीन्द को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा।